न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–3, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी — इन्दिरा बनेरा,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

नियमित फौजदारी अपील संख्या (सी.आई.एस.नम्बर) 30/2025

CNR RJSK010001192025

रामसिंह पुत्र श्री गोकुलसिंह आयु 50 वर्ष निवासी सूर्य नगर पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।

.....अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, सीकर
2– शंकर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह निवासी ग्राम चंवरा पुलिस थाना गुढा गोडजी जिला झुझुनूं।

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.10.2024, पीठासीन अधिकारी सुश्री शिखा शर्मा, आर.जे.एस. न्यायिक मजिस्ट्रेट,क्रम संख्या–1 सीकर, बउनवानी प्रकरण रामसिंह बनाम शंकर सिंह,अं. धारा 138 एन.आई.एक्ट, सी.आई.एस.नं. 102/2016

उपस्थिति–

1– श्री हरीश कुमार शर्मा–प्रथम, अधिवक्ता–अपीलार्थी/परिवादिया की ओर से
2– श्री अनिल शर्मा, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2– श्री अंगद तिवाडी, अधिवक्ता– प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से

नि र्ण य

दिनांक – 03.07.2026

1– अपीलार्थी/परिवादी रामसिंह की ओर से यह अपील विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,क्रम संख्या 1 सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2024 जिसके तहत अप्रार्थी/अभियुक्त शंकरसिंह को अपराध अंतर्गत धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया गया है, से व्यथित होकर दिनांक 27.01.2025 को माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, सीकर के यहां प्रस्तुत हुई जो कालान्तर में अंतरित होकर वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 28.01.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी/अपीलार्थी ने अप्रार्थी/अभियुक्त शंकर सिंह के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एनआईएक्ट विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया था कि अभियुक्त ने सीकर शहर में हीरा मार्केट, बस डिपो के पास, मैसर्स गुरूकृपा कन्सलटेंसी के नाम से फर्म खोली हुई है तथा अभियुक्त ने अपने

आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी से बी०एड० करवाने के लिए अधिकृत व्यक्ति बता कर समाचार पत्रों के जरिये विज्ञप्ति जारी की थी। प्रार्थी ने अभियुक्त द्वारा जारी उक्त विज्ञप्ति को पढकर अपने परिवार में मिलने वालों को वर्ष 2006–07 सत्र में कश्मीर यूनिवर्सिटी से बी०एड० करवाने हेतु अभियुक्त के सीकर में अवस्थित कार्यालय में सम्पर्क किया तो अभियुक्त ने अपने आपको अधिकृत व्यक्ति बताते हुए परिवादी को बताया कि किसी भी ग्रेज्युवेट योग्यता के छात्र को कश्मीर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से बी.एड.करवा दी जाएगी, जिसकी फीस के 65,000/–रूपये होगी, साथ ही अभियुक्त ने परिवादी को यह भी बताया कि यदि परिवादी दस छात्रों का ग्रुप एक साथ बनाकर ले आएगा तो प्रत्येक छात्र को फीस में छूट दी जाकर प्रति विद्यार्थी 50,000/–रूपये लिए जाएंगे। परिवादी ने दस छात्रों का ग्रुप बनाकर उनके पढाई के दस्तावेज अभियुक्त को दिखाए तो अभियुक्त ने उक्त योग्यता प्रमाण पत्रों को चैक करके बताया कि सभी का प्रवेश कश्मीर यूनिवर्सिटी के तहत कॉलेजों में बी.एड. अध्ययन के लिए करवा दिया जाएगा तथा अभियुक्त ने प्रत्येक विद्यार्थी से 50,000/–रूपये प्रति छात्र से कुल पांच लाख रूपये उसने एकत्र कर अभियुक्त को फीस पेटे अदा कर दिये। अभियुक्त ने पांच लाख रूपये फीस पेटे लेने के बावजूद भी किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन बी०एड० अध्ययन हेतु कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं कराया तथा ना ही फीस कहीं जमा करवायी। अभियुक्त ने पांच लाख रूपये अपने पास रख लिये। परिवादी ने अभियुक्त को उक्त फीस पेटे प्राप्त पांच लाख रूपये वापिस लौटाने को कहा तो अभियुक्त ने उक्त पांच लाख रूपयों की अदायगी पेटे 3 चैक – क्रमशः 298926 दिनांक 27.06.2007 को भुगतान योग्य जो 50,000/–रूपये की राशि का है तथा चैक नंबर 298927 दिनांक 07.07.2007 जो 50,000/– रूपये की राशि का है तथा चैक नंबर 298928 दिनांक 23.07.2007 का 4,00,000/– रूपये की राशि का है जो अभियुक्त के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, सीकर के खाते पर जारी चैक बुक से जारी किये गये हैं। अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चैक में से चैक संख्या 298926 दिनांक 27.06.2007 जो कि 50,000/– रूपये की राशि का था, को भुगतान प्राप्ति हेतु उसने अपने बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में अपने खाते में दिनांक 11.07.2007 को जमा कराया तो अभियुक्त ने उक्त चैक का स्टाप पेमेंट करवा दिया। अभियुक्त ने उक्त चैक भुगतान न करने की नियत से जारी किया है। इसी कारण से अभियुक्त ने उक्त चैक का पेमेंट स्टॉप करवा दिया तथा परिवादी द्वारा अभियुक्त के स्थायी निवास अंतिम ज्ञात पत्ते पर जहां पर अभियुक्त का स्थायीय आवासीय परिसर अवस्थित है, सूचना कानूनी नोटिस दिनांक 09.08.2007 को

भिजवाई तो अभियुक्त ने यह अंकित करवा दिया कि प्राप्तकर्ता चंवरा में नहीं रहता, अभियुक्त ने अपने दायित्व से बचने के लिए ऐसा किया है। उक्त सूचना पर्याप्त सूचना है तथा अभियुक्त ने बावजूद सूचना के उक्त चैक की राशि का भुगतान नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चैक परिवादी ने अपने बैंक में भुगतान प्राप्ति हेतु दिनांक 11.07.2007 को डाला, जिसके स्टॉप पेमेंट की सूचना बैंक द्वारा उसी दिन दिनांक 11.07.2007 को दिये जाने पर परिवादी ने दिनांक 09.08.2007 को अपने अधिवक्ता के मार्फत कानूनी नोटिस भिजवाया, जिस पर भी भुगतान न किये जाने से परिवाद पेश करना आवश्यक हुआ आदि–आदि।

3– परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र, शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अभियुक्त शंकर सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट प्रथम दृष्ट्या पाये जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 28.06.2008 को उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त को तलब किया गया।

4– अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 01.05.2023 को अभियुक्त को धारा 138 एनआई एक्ट के आरोप की विशिष्ठियां मौखिक रूप से सुनाई व समझाई गयी, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– दौराने अन्वीक्षा परिवादी रामसिंह ने स्वयं को पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 असल चैक, प्रदर्श 2 बैंक में जमा रसीद, प्रदर्श 3 रिटर्न मैमो, प्रदर्श 4 कानूनी नोटिस, प्रदर्श 5 डाक रसीद, प्रदर्श 6 मूल लिफाफा पेश कर प्रदर्शित करवाया।

6– दिनांक 04.09.2024 को अभियुक्त शंकर सिंह के बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए, तो अभियुक्त ने परिवादी की साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि उसने कोई चैक नहीं दिया। वह और रामसिंह गुरूकृपा कन्स्लटेंसी सर्विस में काम करते थे। उसमें बच्चों की फीस से संबंधित बैंक का सारा काम रामसिंह देखता था। बच्चों की फीस का ड्राफ्ट व अन्य खर्चों के चैक रामसिंह के पास ही थे, उसने बकाया राशि पेटे रामसिंह को कोई चैक नहीं दिया था एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिसपर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

7– अपीलार्थी/परिवादी की ओर से यह अपील मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांकित–19.10.2024 खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय

दिनांकित 19.10.2024 पारित करने से पूर्व आपराधिक विधि के सुस्थापित आज्ञापक सिद्धान्तों का कोई अवलोकन नहीं कर सख्त कानूनी भूल किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–19.10.2024 पारित करने से पूर्व पत्रावली पर आई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का कोई अवलोकन नहीं करके सख्त कानूनी भूल की है जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–19. 10.2024 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि रेस्पोडेन्ट ने परिवादी के सीकर स्थित कार्यालय में आकर स्नातक योग्यता के छात्रों को कश्मीर विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से बी.एड. करवा दी जायेगी जिसकी फीस 65 हजार रूपये होगी तथा दस छात्राओं का ग्रुप होने पर 50 हजार रूपये फीस होगी तथा अपीलार्थी से 10 छात्रों की फीस के पांच लाख रूपये प्राप्त करने के बाद भी बी.एड. अध्यापन हेतु कश्मीर विश्वविद्यालय में फीस जमा नहीं करवायी तथा दिये गये रूपये वापस लौटाने का दबाव बनाने पर आरोपी / रेस्पोडेन्ट संख्या–2 द्वारा पांच लाख रूपये के तीन किता चैक दिये तथा चैक संख्या–297926 दिनांक–27.06.2007 राशि पचास हजार रूपये का दिया जो रेस्पोडैन्ट संख्या–2 के बैंक खाते में चैक का पेमेंट स्टोप होने के कारण अनादरित कर दिया गया जिसकी विधिवत सूचना आरोपी / रेस्पोडेन्ट संख्या–2 को दी गई तथा चैक दिया गया पर आरोपी / रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने हस्ताक्षरों में तथा चैक दिये जाने बाबत कोई विवाद नहीं था। केवल मात्र इस आधार पर अपीलार्थी का परिवाद खारिज किया गया था कि चैक में फर्म का उल्लेख है तथा फर्म को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने स्वयं के हस्ताक्षर करके जो चैक दिया गया था वो किसी भी फर्म का नहीं था ना ही ऐसी कोई फर्म रजिस्टर्ड थी ना ही फर्म का कोई अस्तित्व था । यदि किसी प्रकार की आरोपी/रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की फर्म होती तो उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजात को प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाता, केवल मात्र चैक पर किसी फर्म की गलत रूप से सील लगा दी गई। इस आधार पर दोषी व्यक्ति को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–19. 10.2024 में फर्म का गलत विवचेन कर अपीलान्ट को दोषमुक्त करके परिवादी का परिवार खारिज किया है ।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–19. 10.2024 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–2 को विधिक दायित्व हेतु चैक दिया गया जो अनादरित हो गया तथा पत्रावली में आयी साक्ष्य का गलत विवेचन कर रेस्पोडेन्ट संख्या–2

को दोषमुक्त कर सख्त कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 19.10.24 की पूर्व में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक–03.01.2025 को अपने अधिवक्ता से मिलकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित परिवाद की जानकारी चाही तो अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दी तथा अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी ली गई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर मियाद सावधि प्रस्तुत है इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में अपीलार्थी/परिवादी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2024 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट संख्या 2 शंकर सिंह को दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

7– बहस अपील सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी/परिवादी की ओर से निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन नहीं कर रेस्पोडेंट/अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है, जो निर्णय दिनांक 19.10.2024 को अपास्त किया जाकर रेस्पोडेंट/अभियुक्त को आरोपित अपराध में दण्डित किया जावे।

8– दौराने बहस अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध प्रकट करते हुए निवेदन किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी/परिवादी खारिज की जावे।

9– उभय पक्षों द्वारा प्रकट किये गये तर्कों पर मनन किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.10.2024 व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10– अपीलार्थी/परिवादी रामसिंह ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पेश कर जाहिर किया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दी तथा अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी ली गई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर मियाद सावधि प्रस्तुत है इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किए जाने का निवेदन किया। न्यायालय अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के

संबंध में अपने आवेदन में जो कारण बताए गए हैं, उनसे सहमत होते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।

11– न्यायालय को यह देखना है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य निर्णय में किसी प्रकार की कोई वैधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि है अथवा नहीं ?

12– विचारण न्यायालय ने अपन निष्कर्ष में अंकित किया है कि अपीलार्थी/परिवादी रामसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में अंकित किया है कि अभियुक्त ने बस डिपो सीकर के पास गुयकृपा कन्स्लटेंसी के नाम से फर्म खोली हुई है। अभियुक्त ने स्वयं को कश्मीर यूनिवर्सिटी से बी०एड० करवाने के लिए अधिकृत व्यक्ति बताकर समचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति पढकर अपीलार्थी/परिवादी ने उसके परिवार में मिलने वालों को वर्ष 2006–07 सत्र में कश्मीर यूनिवर्सिटी से बी०एड० करवाने के लिए अभियुक्त से उसके कार्यालय में सम्पर्क किया तो अभियुक्त ने बताया कि कोई भी ग्रेज्युवेट वाले छात्र को कश्मीर यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज में बी०एड० करवा दी जायेगी, जिसकी फीस 65,000/– रूपये होगी। अभियुक्त ने बताया कि यदि अपीलार्थी/परिवादी दस छात्रों का ग्रुप बनाकर लाये तो प्रत्येक विद्यार्थी की फीस 50,000/– रूपये होगी, जिसके बाद अपीलार्थी/परिवादी द्वारा उसके परिवार के मिलने वालों के दस छात्रों का ग्रुप बनाकर पढ़ाई के दस्तावेज अभियुक्त को दिखाये, उसके बाद अपीलार्थी/परिवादी से अभियुक्त ने दस विद्यार्थियों के फीस के कुल पांच लाख रूपये एकत्रित कर अदा किये, जिसके बाद अभियुक्त द्वारा विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं करवाया गया व फीस भी अभियुक्त ने अपने पास रख ली, जब अपीलार्थी/परिवादी ने अभियुक्त को उक्त पैसे लौटाने के बारे में कहा, तब अभियुक्त ने उक्त पांच लाख रूपये की अदायगी हेतु तीन चैक क्रमशः 298926 दिनांक 27.06.2007 को भुगतान योग्य जो 50,000/– रूपये की राशि का है तथा चैक नंबर 298927 दिनांक 07.07.2007 जो 50,000/–रूपये की राशि का है तथा चैक नंबर 298928 दिनांक 23.07.2007 का 4,00,000/– रूपये की राशि का अभियुक्त के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का दिया। अभियुक्त द्वारा चैक संख्या 298926 दिनांक 27.06.2007 जो 50,000/– की राशि का था, भुगतान के लिए स्वयं के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया खाते में दिनांक 11.07.2007 को जमा किया तो अभियुक्त ने उक्त चैक का स्टॉपपेमेंट करवा दिया, जिसके बाद अपीलार्थी/परिवादी द्वारा विहित समयावधि में अभियुक्त को नोटिस दिया गया, जिसके बाद भी अभियुक्त द्वारा परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में असल चैक प्रदर्श 1, बैंक

में जमा रसीद प्रदर्श 2, रिटर्न मैमो प्रदर्श 3, कानूनी नोटिस प्रदर्श 4, डाक रसीद प्रदर्श 5, मूल लिफाफा प्रदर्श 6 को प्रदर्शित करवाया।

13– अपीलार्थी/परिवादी रामसिंह ने प्रतिपरीक्षा में अपने परिवाद व शपथ पत्र की मद सं.1 में जिस विज्ञप्ति का उल्लेख किया है, ऐसी कोई विज्ञप्ति उसने पत्रावली में पेश नहीं की। अपीलार्थी/परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में अपनी बहन के एडमिशन के लिए अभियुक्त को राशि दी हो, इस बात का अंकन नहीं है। अपीलार्थी/परिवादी ने यह भी कथन किया है कि उसने परिवार व मिलने वालों के एडमिशन के लिए रूपये दिए थे। अपीलार्थी/परिवादी ने परिवाद व साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उसने अपने परिवार और मिलने वालों के एडमिशन के रूपये अभियुक्त को दिए हों। अपीलार्थी/परिवादी ने अपने परिवाद व शपथ पत्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है, जिसको उसने दस लोगों के ग्रुप में शामिल किया हो। अपीलार्थी/परिवादी के साक्ष्य के शपथ पत्र में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है जिसके एडमिशन के लिए राशि प्राप्त कर अभियुक्त को दी गयी हो । गुरूकृपा कन्स्लटेंसी ऑफिस रेस्पोडेंट सं.2 शंकरसिंह का ही हो, इस बाबत अपीलार्थी/परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य के शपथ पत्र में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अपीलार्थी/परिवादी ने अभियुक्त शंकरसिंह ने किस दिनांक, समय व स्थान पर रूपयों की अदायगी हेतु चैक दिया। अपीलार्थी/परिवादी ने अपने परिवाद के मद सं. 1 में वर्णित कार्यालय के पते पर अभियुक्त शंकर सिंह को चैक अनादरण के संबंध में कोई भी विधिक नोटिस नहीं भिजवाया था,अजखुद कहा कि कार्यालय बंद कर दिया था। अभियुक्त शंकरसिंह का कार्यालय बंद होने के कारण उसने उसके गांव का पता जान–पहचान वालों से करके वहां नोटिस दिया था। अपीलार्थी/परिवादी ने अपने परिवाद व साक्ष्य के शपथ पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्त शंकरसिंह को जिस पते पर नोटिस भेजा हो, वह उसका वास्तविक पता हो। अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने स्वयं के एडमिशन हेतु राशि अभियुक्त को नहीं दी थी तथा उसने अपनी बहन के एडमिशन के लिए अभियुक्त को राशि दी थी, परन्तु अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अपने परिवाद, साक्ष्य के शपथ पत्र में अपनी बहन का एडमिशन करवाए जाने के संबंध में राशि देने के कथन नहीं किए हैं, केवल परिवार के जानने वालों के द्वारा एडमिशन फीस देने के कथन किए हैं। अपीलार्थी/परिवादी द्वारा चैक राशि पचास हजार रूपये के संबंध में यह दर्शित नहीं किया गया है कि किन–किन

परिवार के जानने वालों द्वारा उक्त राशि अभियुक्त को दी गयी थी। अपीलार्थी/परिवादी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है जो इस तथ्य की संपुष्टि करें कि उन्होंने अपीलार्थी/परिवादी को बी०एड० में एडमिशन लेने के लिए प्रति व्यक्ति पचास हजार रूपये की राशि फीस के रूप में दी थी, जिस राशि को अपीलार्थी/परिवादी द्वारा उन सबकी ओर से अभियुक्त को अदा किया गया। जहां तक अपीलार्थी/परिवादी की बहन के एडमिशन की राशि का प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलार्थी/परिवादी द्वारा स्वयं की बहन को भी इस तथ्य के समर्थन में परीक्षित नहीं करवाया गया है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी/परिवादी यह साबित करने में असफल रहा है कि उसने अभियुक्त से किसी विधिक ऋण या दायित्व पेटे चैक संख्या 298926 प्रदर्श 1 प्राप्त किया था। धारा 13– एन.आई.एक्ट में वर्णित उपधारणा खण्डनीय प्रकृति की है, जिसे अभियुक्त द्वारा खण्डित किया जा चुका है कि हस्तगत प्रकरण में चैक प्रदर्श 1 अभियुक्त द्वारा अपीलार्थी/परिवादी को किसी विधिक दायित्व या ऋण पेटे दिया गया है। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त/रेस्पोडेंट शंकरसिंह को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया है।

14– अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अपनी अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि रेस्पोडेंट/अभियुक्त शंकर सिंह द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर करके जो चैक उसे दिया गया, वो किसी भी फर्म का नहीं था एवं यदि कोई फर्म होती तो उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजात को वह प्रतिरक्षा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाता एवं केवल मात्र चैक पर किसी फर्म की गलत रूप से सील लगा दी गई है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री के विवेचनोपरांत न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त द्वारा अपीलार्थी/परिवादी को दिया गया चैक गुरूकृपा कन्स्टलटेंसी का है तथा अभियुक्त उक्त फर्म का प्रोपराईटर है तथा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा फर्म गुरूकृपा कन्स्टलटेंसी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि एक गंभीर त्रुटि है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी/परिवादी द्वारा अपनी अपील में जो आधार वर्णित किए हैं, वह माने जाने योग्य नहीं है।

15– अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा जो विवेचन कर रेस्पोडेंट/अभियुक्त शंकर सिंह को धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किये जाने का आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रृटि नहीं पाई जाती है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2024 को पारित विवेचन को यथावत रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त की धारा–

138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में की गई दोषमुक्ति पुष्ट किये जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

16– अतः अपीलार्थी/परिवादी रामसिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह अआयु 50 वर्ष निवासी सूर्य नगर पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2024 को पारित निर्णय पुष्ट किया जाता है।

(इन्दिरा बनेरा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, सीकर (राज.)

17– निर्णय आज दिनांक 03.07.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्दिरा बनेरा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम–3, सीकर (राज.)

VIVEK SHRIVASTAV
"Authonticat Document"
Digitally signed by VIVEK SHRIVASTAV
Date: 2026.07.07 13:40:53 +0000